रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092020-222157
CG-DL-E-30092020-222157

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 490] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2020/आश्विन 8, 1942
No. 490] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2020/ASVINA 8, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2020

सं. 94/2020-सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 600(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 30, 30क, 41, 41क, 53, 54, 56, धारा 98 की उपधारा (3) और धारा 158 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट रेगुलेशन्स, 2018 में और आगे भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ. - (1) इन विनियमों को सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट (तृतीय अमेंडमेंट) रेगुलेशन्स, 2020 कहा जाएगा।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट रेगुलेशन्स, 2018 में (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त विनियम से संदर्भित किया गया है), विनियम 3 में, उपविनियम (1ए) में,-

   (क) शब्द “दस लाख रुपए” के स्थान पर, जहां जहां पर वे हो, शब्द ”पाँच लाख रुपए” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

   (ख) परंतुक में, शब्द, ब्रेकेट और अक्षर, “प्राधिकृत इकोनोमिक ऑपरेटर (AEO)” के स्थान पर शब्द, ब्रेकेट, अक्षर और अंक ” प्राधिकृत इकोनोमिक ऑपरेटर (AEO) और कस्टम्स ब्रोकर जो कि कस्टम्स ब्रोकर लायसेंसिंग रेगुलेशन्स, 2018 के अंतर्गत लाइसेंसड है” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. उक्त विनियमों में, विनियम 15 में;

(क) उपविनियम (1) में, शब्द, अंक और अक्षर “15 मई, 2020 से लेकर 30 सितंबर, 2020” के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर ”1 नवम्बर, 2020 तक” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उपविनियम (2) में, शब्द, अंक और अक्षर ” 30 सितंबर, 2020 तक” के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर ”31 मार्च, 2021 तक” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 450/58/2015- सीमाशुल्क IV]

आनंद राधाकृष्णन, उप सचिव (सीमाशुल्क)

टिप्पणी : इस प्रधान विनियमावली को सा.का.नि. 448 (अ), दिनांक 11 मई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड (3), उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमे अंतिम बार अधिसूचना संख्या 66/2020-सीमाशुल्क (गै. टै.), दिनांक 31 जुलाई, 2020, सा.का. नि. 486 (अ), दिनांक 31 जुलाई, 2020 के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2020

No. 94 /2020-Customs (N.T.)

G.S.R. 600(E).—In exercise of the powers conferred by section 157, read with sections 30, 30A, 41, 41A, 53, 54, 56, sub-section (3) of section 98 and sub-section (2) of section 158 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Sea Cargo Manifest and Transhipment Regulations, 2018, namely: -

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Sea Cargo Manifest and Transhipment (Third Amendment) Regulations, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Sea Cargo Manifest and Transhipment Regulations, 2018 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3, in sub-regulation (1A),-

   (a) for the words, “ten lakhs”, wherever they occur, the words, “five lakhs” shall be substituted;

   (b) in the proviso, for the words, brackets and letters, “Authorised Economic Operator (AEO)”, the words, brackets, letters and figures, “Authorised Economic Operator (AEO) and Customs Broker licensed under the Customs Brokers Licensing Regulations, 2018” shall be substituted.

3. In the said regulations, in regulation 15,-

   (a) in sub-regulation (1), for the words, figures and letters, “from 15th May, 2020 till 30th September, 2020”, the words, figures and letters, “till 1st November, 2020” shall be substituted;

   (b) in sub-regulation (2), for the words, figures and letters, “till 30th September, 2020”, the words, figures and letters, “till 31st March, 2021” shall be substituted.

[F. No. 450/58/2015- Cus. IV]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy. (Customs)

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section (i) vide number G.S.R. 448(E), dated the 11th May, 2018 and were last amended vide notification No. 66/2020-Customs (N.T), dated the 31st July, 2020 vide number G.S.R. 486 (E), dated the 31st July, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA